न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 04/2021

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. टीपू देवी पुत्री गुमानराम पत्नि मांगीलाल जाति सिरवी, निवासी भैसाणा, तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. सुजाराम पुत्र गमनाराम 2. बीजाराम उर्फ विष्णुनारायण पुत्र गमनाराम जाति सीरवी निवासीगण सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली राज0। 3. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भैसाणा पंचायत समिति सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ना.स. 445 स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत भैसाणा

तारीख रजू :— 02.03.2021

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 28.04.2022

अधिवक्ता अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा सिसरवादा, पटवार हल्का भैसाणा तह0 सोजत में (a) खाता संख्या 429 खसरा संख्या 318, 319 कुल खसरा 02 रकबा 0.900 है0 किस्म बा0अ0, (b) खाता संख्या 430 खसरा संख्या 261, 262 कुल खसरा 02 रकबा 1.6900 है0 किस्म बा0 अ0 आराजीयात की कृषि भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उक्त (a) में वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि गमनाराम पुत्र लालाराम की खातेदारी तथा (b) में वर्णित कृषि भूमि में गमनाराम का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। गमनाराम पुत्र लालाराम अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पिता थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। गमनाराम के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि में नामान्तरकरण ग्राम पंचायत भैसाणा के राजस्व कैम्प में नामान्तकरण संख्या 445 दर्ज किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा स्वीकृत किया गया। स्वीकृति की कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है। उक्त ना0सं0 445 दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 तथा मुली देवी के नाम ही दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि अपीलान्ट गमनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा अपीलान्ट का भी वदग्रस्त कृषि भूमि में गमनाराम के हक हिस्से से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार निहित है। ग्राम पंचायत भैसाणा के तत्कालीन सरपंच द्वारा उक्त ना0सं0 445 स्वीकृत करते समय स्व0 गमनाराम के सभी विधिक उतराधिकारी वारिसान की जांच किये बिना एवं अपीलान्ट को सुने

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

ना एवं नोटिस दिये राजस्व कैम्प भैसाणा में उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया, जो अपीलान्ट के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शुन्य एवं अप्रभावी है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 के कोई हक एवं अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। वादग्रस्त कृषि भुमि में अपीलान्ट भी हक एवं अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के समान निहित है। ना0सं0 445 अपीलान्ट के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध बेअसर शुन्य एवं अप्रभावी होने से अपीलान्ट उक्त ना0सं0 445 को निरस्त करवाने की अधिकारिणी है तथा पुनः गमनाराम के सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपीलान्ट को उक्त ना0सं0 445 स्वीकृत करने की पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी, न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट का किसी प्रकार की जानकारी दी गई, न ही अपीलान्ट को नामान्तकरण स्वीकृत करते समय किसी प्रकार का सुनवाई का नोटिस दिया गया। अपीलान्ट की माता मुली देवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 20/01/2021 को सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का ने बताया कि "आपके पिता के फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करवाते समय अपना नाम दर्ज नही किया गया है। तब अपीलान्ट ने उक्त राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तथा नामान्तकरण संख्या 445 की जानकारी होने पर नामान्तकरण संख्या 445 की नकल दिनांक 02/02/2021 को प्राप्त होने पर पूर्ण जानकारी हुई कि गमनाराम के फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया है जबकि अपीलान्ट गमनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। इसलिए अपीलान्ट ने ना0सं0 445 को निरस्त करवाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाने की ईशतदुआ की है।

अपीलान्ट को उक्त ना0सं0 445 स्वीकृत करने की पूर्व में कतई जानकारी नहीं थी, न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट का किसी प्रकार की जानकारी दी गई, न ही अपीलान्ट को नामान्तकरण स्वीकृत करते समय किसी प्रकार का सुनवाई का नोटिस दिया गया। अपीलान्ट की माता मुली देवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक 20/01/2021 को सम्पर्क करने पर पटवारी हल्का ने बताया कि "आपके पिता के फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करवाते समय अपना नाम दर्ज नही किया गया है। तब अपीलान्ट ने उक्त राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तथा नामान्तकरण संख्या 445 की जानकारी होने पर नामान्तकरण संख्या 445 की नकल दिनांक 02/02/2021 को प्राप्त होने पर पूर्ण जानकारी हुई कि गमनाराम के फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया है जबकि अपीलान्ट गमनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है। इसलिए अपीलाधीन म्यूटेशन दर्ज करने की दिनांक से लेकर अपीलान्ट को दिनांक 02/02/2021 को नकले प्राप्त करने एवं असके बाद अपील पेश करने तक का समय को कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद पेश करने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सिसरवादा में स्थित होने व नामान्तरण संख्या 445 सरपंच ग्राम पंचायत भैसाणा द्वारा स्वीकृत करने से यह अपील न्यायालय हाजा के श्रेत्राधिकार का है। अतः अपील अपीलान्ट ने पेश कर स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 445 स्वीकृत सरहद मौजा सिसरवादा को अपास्त किये जाने तथा अपीलान्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से 03 स्वयं उपस्थित आए। व जबाब प्रस्तुत नही करना चाहने से जबाब प्रा0पत्र का अवसर समाप्त कर बहस अपील प्रा0 सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

...रान व्यक्त किया कि गमनाराम के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त वर्णित भूमि में नामान्तरकरण ग्राम पंचायत भैसाणा के राजस्व कैम्प में नामान्तकरण संख्या 445 दर्ज किया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा स्वीकृत किया गया। स्वीकृति की कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है। उक्त ना0सं0 445 दर्ज करते समय रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 तथा मुली देवी के नाम ही दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं किया गया, जबकि अपीलान्ट गमनाराम की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा अपीलान्ट का भी वदग्रस्त कृषि भूमि में गमनाराम के हक हिस्से से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार निहित है। अतः नामान्तरकरण संख्या 445 खारीज कर अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अपील प्रा0 पत्र अनुसार नामान्तरकरण संख्या 445 को खारीज कर पुनः नए सिरे से जांच पश्चात् राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने की सहमति जाहिर की है।

अधिवक्तागण अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। उपस्थित उभयपक्षों को सुना गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील साथ के प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित देरीना कारण युक्तियुक्त होने से दिनांक 02.02.2021 से अपील पेश करने तक के समय को कण्डोन किया जाता है। बाद विवेचन/विश्लेषण सरपंच ग्राम पंचायत भैसाणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 445 गमनाराम पुत्र लालाराम फौत होने पर बिना विधिक जांच किए भरा गया जो अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य पाया गया है। जिससे अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना, उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को मूल नामान्तरकरण इस निर्देश के साथ कि वे गमनाराम पुत्र लालाराम के समस्त वारिसानों की विधिक रूप से पुनः जांच करके नामान्तरकरण पारित करें, प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

—: <u>आदेश</u> :—

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 445 विधि—विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि वे गमनाराम पुत्र लालाराम के समस्त वारिसानों की पूर्ण रूप से पुनः नये सिरे से जांच करके विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज)

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत